**कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण**
**(वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार)**

**व्यापार सूचना सं. APEDA-ORG/148/2025**
**दिनांक 31 दिसंबर 2025**

**व्यापार सूचना**

**जैविक चीनी के निर्यात हेतु अनुबंधों का पंजीकरण**

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी **अधिसूचना सं. 51/2025-26 दिनांक 29 दिसंबर 2025** के माध्यम से, 50,000 मीट्रिक टन की वार्षिक निर्यात अधिकतम सीमा (सीलिंग) के अधीन जैविक चीनी के निर्यात की अनुमति दी गई है। यह अनुमति कुछ शर्तों के अधीन है, जिनमें से एक **शिपमेंट से पूर्व एपीडा, नई दिल्ली के साथ अनुबंधों का पंजीकरण** है।

तदनुसार, एपीडा ने अनुबंधों के ऑनलाइन पंजीकरण और पंजीकरण-सह-आवंटन प्रमाण पत्र (आर.सी.ए.सी.) जारी करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया तैयार की है:

**क. पात्रता:**

केवल वे निर्यातक जो राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एन.पी.ओ.पी.) के अंतर्गत किसी मान्यता प्राप्त प्रमाणीकरण निकाय द्वारा प्रमाणित हैं, जिनके पास वैध आईईसी है और जो शिपमेंट से पूर्व एपीडा द्वारा जारी वैध प्रोविजनल ट्रांजेक्शन प्रमाण पत्र (पी.टी.सी.) और आर.सी.ए.सी. रखते हैं, उन्हें जैविक चीनी निर्यात करने की अनुमति है।

**ख. प्रक्रिया:**

i. जैविक निर्यातक जैविक चीनी के निर्यात हेतु प्रोविजनल ट्रांजेक्शन प्रमाण पत्र (पी.टी.सी.) जारी करने के लिए एन.पी.ओ.पी. के अंतर्गत मान्यता प्राप्त प्रमाणीकरण निकाय को आवेदन करेगा।

ii. एन.पी.ओ.पी. के ट्रेसनेट के अंतर्गत प्रोविजनल ट्रांजेक्शन प्रमाण पत्र **(पी.टी.सी.)** प्राप्त करने के पश्चात, निर्यातक **शिपमेंट से पूर्व** निर्यात अनुबंध के पंजीकरण और पंजीकरण-सह-आवंटन प्रमाण पत्र **(आर.सी.ए.सी.)** प्रदान करने हेतु (उस मात्रा के लिए जिसके लिए पी.टी.सी. जारी किया गया है) आर.सी.ए.सी. आवेदन पी.टी.सी. की प्रति के साथ एपीडा को प्रस्तुत करेगा। आवेदन के साथ एल.सी. /अनुबंध/प्रोफॉर्मा इनवॉइस की स्कैन की गई प्रति और एपीडा आर.सी.एम.सी. की प्रति प्रस्तुत की जाएगी।

iii. पी.टी.सी. और संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, एपीडा प्रत्येक पी.टी.सी. के लिए आर.सी.ए.सी. जारी करेगा। इसकी वैधता जारी होने की तिथि से 45 दिनों की होगी। इसलिए, अनुबंध के पंजीकरण के लिए आवेदन

करते समय, निर्यातकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि पंजीकरण के लिए आवेदित मात्रा वह है जिसे अगले 45 दिनों में शिप करने की योजना है।

iv. सीमा शुल्क विभाग निर्यात की अनुमति देने से पूर्व प्रोविजनल ट्रांजेक्शन प्रमाण पत्र (अद्वितीय क्यूआर कोड के साथ) और आर.सी.ए.सी. की प्रति का सत्यापन करेगा।

v. निर्यात की अनुमति केवल सीमा शुल्क ईडीआई बंदरगाहों से दी जाएगी।

vi. उन निर्यातकों/कंपनियों को आर.सी.ए.सी. जारी नहीं किया जाएगा जिन पर एन.पी.ओ.पी. के अंतर्गत प्रतिबंध लगाए गए हैं।

vii. वित्तीय वर्ष में जारी आर.सी.ए.सी. की मात्रा 50,000 मीट्रिक टन तक पहुंचने के बाद एपीडा आर.सी.ए.सी. जारी करना बंद कर देगा।

viii. एपीडा किसी भी असामान्य वृद्धि की जांच के लिए जैविक चीनी के निर्यात की नियमित निगरानी करेगा।

ix. एपीडा सूचना और रिकॉर्ड के लिए जैविक चीनी के मासिक निर्यात डेटा को डी.एफ.पी.डी. के साथ साझा करेगा।

**ग. प्रसंस्करण शुल्क:** अनुबंधित मात्रा के प्रति मीट्रिक टन ₹ 30/- (18% जीएसटी अतिरिक्त) की प्रसंस्करण शुल्क राशि ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से देय होगी। सेवा कर/जीएसटी की दर में सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित किसी भी परिवर्तन को यथानुसार लागू किया जाएगा।

**घ. सामान्य शर्तें**

i. संबंधित अधिसूचना, व्यापार सूचना तथा तत्पश्चात किए गए सभी संशोधनों में निर्दिष्ट सभी शर्तें लागू होंगी।

ii. किसी भी प्रकार की गलत घोषणा, असत्य सूचना अथवा अनुपालन में चूक की स्थिति में विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम तथा उससे संबद्ध नियमों, एनपीओपी विनियमों के प्रावधानों तथा लागू होने वाले किसी अन्य अधिनियम/नियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

ख. निर्यात नियमों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप निम्न हो सकता है:

i. सीमा शुल्क पर शिपमेंट की अस्वीकृति।

ii. डीजीएफटी अथवा अन्य नियामक प्राधिकरणों द्वारा विधिक कार्रवाई या दंड अधिरोपित किया जाना।

iii. भविष्य के निर्यात से प्रतिबंधित (ब्लैकलिस्ट) किया जाना।